न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या– 26/2012–13

श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट, द्वारा ट्रस्टी शेखरानन्द डंगवाल पुत्र श्री संतराम डंगवाल, निवासी मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

–निगरानीकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल।

–विपक्षी

अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

बावत

गाटा संख्या 249 से 256 व 259 से 282 ग्राम मुनिकीरेती, पट्टी धमन्दस्युत, परगना व तहसील नरेन्द्रनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल।

आदेश

निगरानीकर्ता ने इस निगरानी द्वारा अभिलेख अधिकारी/कलेक्टर टिहरी गढ़वाल द्वारा वाद संख्या 2/2009 अन्तर्गत धारा 210 भू–राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 26 सितम्बर, 2012 अवलोपित करने व सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा वाद संख्या 24/2008 में पारित आदेश दिनांक 27 अक्तूबर, 2008 निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए विवादित भूमि के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार का नाम खारिज कर स्वयं का नाम दर्ज करने की याचना की है।

निगरानीकर्ता का कहना है कि वर्ष 1947 से पूर्व तत्कालीन टिहरी नरेश ने श्री दर्शन महाविद्यालय को धार्मिक, परोपकारी एवं शैक्षिक कार्यों के लिए ग्राम मुनिकीरेती में 346 नाली 3 मुट्ठी जमीन दानस्वरूप समस्त अधिकारों सहित दी थी।

निगरानीकर्ता स्वीकार करता है कि टिहरी रियासत के क्षेत्र का भारत संघ में विलय होने से पूर्व दान दी गई उक्त जमीन में से 305 नाली 1 मुट्ठी पर श्री दर्शन महाविद्यालय का नाम दर्ज नहीं हो पाया था।

निगरानीकर्ता का आगे कथन है कि श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट का गठन 1964–65 में हुआ और यह ट्रस्ट पूर्व में श्री दर्शन महाविद्यालय के नाम से जाने वाली संस्था का उत्तराधिकारी है।

इस निगरानी में विचाराधीन कार्यवाही तब प्रारम्भ हुई जब श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट ने सर्वे नायब तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष प्रार्थना की कि प्रार्थी का नाम विवादित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। इस प्रार्थना पत्र पर मुकदमा संख्या 24/2007–08 श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य कायम हुआ और चूंकि तत्समय ग्राम मुनिकीरेती अभिलेख कार्यवाही के अधीन था यह मुकदमा सहायक कलेक्टर/सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून को निर्णय हेतु संदर्भित हुआ। सहायक अभिलेख अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 में लिखा है कि "खतौनी ग्राम मुनिकीरेती, परगना नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल फसली 1401 से 1406 में खाता संख्या 1 में तहसीलदार देवप्रयाग के आदेश दिनांक 30 जून, 1981 के अनुसार दर्शन महाविद्यालय का नाम पूर्व में दर्ज हो चुका है तथा माननीय जिला जज, टिहरी गढ़वाल के वाद विविध दीवानी मुकदमा संख्या 55/05 में आदेश दिनांक 4 जून, 2007 द्वारा वर्णित भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अब इस वाद पत्रावली में नामान्तरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद पत्रावली मूल रूप में इस निर्देश के साथ वापिस की जाती है कि पत्रावली यथास्थिति दाखिल–दफ्तर होवे।"

सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के उपरोक्त आदेश से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे सन्तुष्ट थे कि श्री दर्शन महाविद्यालय का नाम राजस्व अभिलेखों में पूर्व से ही सक्षम न्यायालय के आदेश से दर्ज है व इस प्रकार उन्होंने पूर्व से खातेदार के रूप में दर्ज व्यक्ति (श्री दर्शन महाविद्यालय) का पुनः नामान्तरण का औचित्य नहीं पाया अर्थात् सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के मत में श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट की प्रार्थना कि उनका नाम खतौनी में दर्ज किया जाय "infructuous" पाया क्योंकि सहायक अभिलेख अधिकारी के मत में श्री दर्शन महाविद्यालय का नाम पूर्व से ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज था।

वस्तुतः निगरानीकर्ता का नाम विवादित भूमि के संबंध में खतौनी में बतौर भू–स्वामी दर्ज नहीं था बल्कि तहसीलदार देवप्रयाग के आदेश दिनांक 30 जून, 1981 के अनुसार ग्राम मुनिकीरेती की खतौनी में खाना कैफियत में कब्जा दर्ज था। तहसीलदार के वर्णित आदेश को देखने से विदित होता है कि उनके मत में श्री दर्शन महाविद्यालय का विवादित भूमि पर कब्जा 1947 से पूर्व से था परन्तु उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार देवप्रयाग इस मत के थे कि यद्यपि विवादित भूमि पर श्री दर्शन महाविद्यालय का "interest" परिलक्षित होता है

परन्तु सम्पत्ति पर अधिकार व स्वामित्व सक्षम न्यायालय के आदेश से ही प्राप्त हो सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि सर्वे नायब तहसीलदार, ऋषिकेश ने वाद संख्या 24/2007–08 में जब जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), टिहरी गढ़वाल से राय मांगी कि क्या न्यायालय जिला जज, टिहरी गढ़वाल द्वारा वाद संख्या 55/05 में दिए गए निर्णय दिनांक 4 जून, 2007 के आधार पर श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट के पक्ष में नामान्तरण किया जा सकता है या नहीं तो उन्होंने अपना अभिमत इस प्रकार व्यक्त किया था "उक्त निर्णय के आधार पर भू–राजस्व की धारा 54 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट के नाम नामान्तरण किया जाना विधि सम्मत है" परन्तु जैसे पूर्व में वर्णित किया गया है सर्वे नायब तहसीलदार, ऋषिकेश ने वाद संख्या 24/2007–08 सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून को निर्णय हेतु भेज दिया गया व मामले में सहायक अभिलेख अधिकारी का निर्णय ऊपर वर्णित है जो वस्तुतः कोई निर्णय नहीं है क्योंकि वाद पत्रावली अभ्युक्ति के साथ यथास्थिति दाखिल दफ्तर कर दी गई।

समय–समय पर अभिलेख कार्यवाही करने का उद्देश्य है कि भूमि संबंधी अभिलेख दुरूस्त हों व वास्तव में जमीन की स्थिति परिलक्षित करें। पर्याप्त साक्ष्य के आधार तथ्यों की विवेचना उपरान्त अभिलेख अधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी खतौनी में किसी खातेदार का नाम अवलोपित कर दूसरे खातेदार का नाम डाल सकता है। ज्ञातव्य ही है कि राजस्व अभिलेखों में किसी भूमि विशेष किसी के पक्ष में दर्ज होने से स्वतः यह नहीं माना जा सकता है कि राजस्व अभिलेखों में किसी व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि का वे ही स्वामी व मालिक हैं परन्तु क्योंकि समय–समय पर पड़ताल करने पर राजस्व अभिलेखों को यथासंभव दुरूस्त रखा जाता है और वास्तविक कब्जे को ऐसी पड़ताल या विवेचना में आधार माना जाता है इसलिए यह समझा जाता है कि सामान्यतः राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित स्वामित्व सही होगा। भूमि विधान में राजस्व अभिलेखों में दर्ज सूचना को presumed correct माना जाता है यद्यपि इस presumption को पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने पर सक्षम न्यायालय में rebut किया जा सकता है। अतः सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून को चाहिए था कि वे या तो श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट का नाम उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा व्यक्त अभिमत के आधार पर खतौनी में उत्तराखण्ड सरकार का नाम काटकर दर्ज करता अथवा श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट का नामान्तरण की प्रार्थना गुण–दोष के आधार पर अस्वीकृत करता। सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा न तो श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट का नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और न ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया व इस प्रकार सहायक अभिलेख

अधिकारी ने अपने में निहित अधिकार का प्रयोग नहीं किया जिस कारण उसके द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 निरस्त करने योग्य है।

सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता अपील में न्यायालय अभिलेख अधिकारी/कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल में गया। कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल ने अपने आदेश 26 सितम्बर, 2012 द्वारा निगरानीकर्ता की अपील न केवल खारिज कर दी बल्कि भू राजस्व अधिनियम की धारा–219 के अन्तर्गत तहसीलदार देवप्रयाग का आदेश दिनांक 30 जून, 1981 भी निरस्त कर दिया। अभिलेख अधिकारी के रूप में कलेक्टर द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सुनी जा रही अपील में कलेक्टर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–219 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके कोई आदेश किया जाना स्वयं में तर्कसंगत नहीं है विशेषकर जब अवलोपित की जाने वाली प्रविष्टि 31 वर्ष पूर्व की हो। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा–34 में नामान्तरण ही कल्पित है न कि किसी व्यक्ति का कब्जा दर्ज किया जाना। यह तर्क अपने में सही है क्योंकि नामान्तरण की कार्यवाही में सामान्यतः दो ही प्रतिफल उत्पन्न होते हैं अर्थात् या तो प्रार्थी का दावा स्वीकार कर नामान्तरण किया जाता है अथवा प्रार्थी का दावा अस्वीकार कर उसे खारिज किया जाता है परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि यह भूमि गैर जमींदारी विनाश वाली भूमि है और इस प्रकृति की भूमि पर intermediary interest भी दर्ज होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार देवप्रयाग ने पाया था कि निगरानीकर्ता स्वामित्व साबित करने में सक्षम नहीं हो पाया परन्तु तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का कब्जा पाया गया तथा यह पाया गया कि विवादित भूमि में निगरानीकर्ता का interest है व तद्नुसार ही तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किये गए। निगरानीकर्ता का विवादित भूमि पर कब्जा वर्ष 1947 से पूर्व से होने को स्वीकार करने पर तहसीलदार, देवप्रयाग विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता के पक्ष में नामान्तरण भी कर सकते थे क्योंकि भू–राजस्व विधान के अनुसार कब्जे के आधार पर ही नामान्तरण किया जाता है परन्तु उन्होंने ऐसा शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि द्वितीय पक्ष भूतपूर्व टिहरी नरेश थे व निगरानीकर्ता के पक्ष में कोई पंजीकृत विलेख नहीं था। तहसीलदार, देवप्रयाग के न्यायालय में संचालित वाद संख्या 79/80–81 की वाद पत्रावली 6 फरवरी, 1995 को विनिष्ट की जा चुकी व इस कारण उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है। मेरे विचार में कलेक्टर द्वारा 30 वर्ष से अधिक पुराने निर्णय को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 219 के अन्तर्गत खारिज नहीं करना चाहिए था अतः कलेक्टर के रूप में धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद संख्या 2/2009 में पारित कलेक्टर/अभिलेख अधिकारी, टिहरी गढ़वाल का आदेश दिनांक 26 सितम्बर, 2012 इस सीमा तक निरस्त करने योग्य है।

विवादित भूमि की मौके की स्थिति की जांच कलेक्टर द्वारा कराई गई। दर्शन महाविद्यालय के कब्जे में बताई गई भूमि पर आम का पुराना बगीचा पाया गया व श्री देवेन्द्र विज्ञानी के कब्जे में दिखायी गयी भूमि के कुछ अंश पर ओंकारानन्द का आश्रम बना हुआ पाया गया और कुछ पर पेड़ व झाड़ी। उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11 सितम्बर, 2012 में यह बताया कि "महाराज द्वारा दी गई भूमि सरकार की थी और दर्शन महाविद्यालय जनहित में दी जानी हो सकती है किन्तु इस भूमि की आवश्यकता महाविद्यालय को न होने से भूमि विक्रय की गयी जो नियमों/प्राविधानों के विपरीत है"। उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर की रिपोर्ट के साथ निगरानीकर्ता और स्वामी ओंकारानन्द सरस्वती चैरिटेबुल ट्रस्ट के बीच विवादित भूमि के कुछ भाग को विक्रय करने का वर्ष 1991 का इकरारनामा संलग्न किया गया है।

उपर्युक्त से विदित होता है कि विवादित भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं पाया गया। जहां तक भूमि विक्रय करने का उल्लेख है रिपोर्ट के साथ संलग्न विलेख से स्पष्ट है निगरानीकर्ता द्वारा विक्रय नहीं किया गया बल्कि विक्रय करने का इकरारनामा वर्ष 1991 में पंजीकृत कराया गया।

अभिलेख अधिकारी ने अपने आदेश में बताया है कि श्री निवास राय सर्वे कानूनगो के बयान कराये गये जिनके द्वारा मौका मोईना के आधार पर बताया गया कि "दर्शन महाविद्यालय का उक्त भूमि की सड़क के नीचे की तरफ विद्यालय भवन बना है तथा शेष भूमि सड़क के करीब 50 मीटर लगभग निकट है तथा इस भूमि पर आम का बाग है तथा झाडियां बर्षाती किस्म की काफी उगी हुई हैं..... तपोवन बाईपास के ऊपर बाग है तथा ऋषिकेश तपोवन मोटर मार्ग की नीचे की साईड विद्यालय भवन सड़क से लगे हुए हैं। दोनों में 100–150 मीटर लगभग दूरी है" इस बयान से भी विदित होता है कि निगरानीकर्ता के कब्जे में दर्ज विवादित भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है व अप्रयुक्त भूमि जिस पर आम के पुराने पेड़ और बरसाती झाड़ियां हैं निगरानीकर्ता के विद्यालय भवन से निकट सड़क पार है।

कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में बताया गया है कि श्री मानवेन्द्र शाह (जो टिहरी महाराजा थे) द्वारा टिहरी रियासत के भारत संघ में विलियन पश्चात 1967 में प्रमाण पत्र देना कि विवादित भूमि टिहरी दरवार ने सन् 1947 से पहले निगरानीकर्ता के पक्ष में दान कर दी थी विधि सम्मत नहीं है। कलेक्टर ने कहा है कि United Provinces Tenancy Act, 1939 के अन्तर्गत कब्जा राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का अधिकार मात्र कलेक्टर में निहित था। कलेक्टर ने आगे कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथन की पुष्टि में किसी प्रकार की पत्रावली/दान पत्र न प्रस्तुत किये जाने के कारण विवादित भूमि पर उत्तराखण्ड

सरकार का नाम दर्ज रहने विधि सम्मत है। कलेक्टर ने अपने आदेश में यह तर्क भी प्रकट किया है कि यदि टिहरी महाराजा के प्रमाण पत्र देने पर ही दानपत्र मान लिया जाय तो किसी भी समय कितने ही मामलों में टिहरी महाराजा ऐसे प्रमाण पत्र दे सकते हैं व इस कारण मात्र टिहरी महाराज के प्रमाण पत्र के आधार पर यह नही माना जा सकता है कि कोई दानपत्र विधिवत रूप से प्रदत्त किया गया था। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि कब्जेदार के रूप में निगरानीकर्ता को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वे अपने तथाकथित कब्जे की जमीन को बेचने का इकरार करें।

कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में अंकित उपरोक्त सभी बिन्दु महत्वपूर्ण हैं परन्तु इन सभी की विवेचना गुण–अवगुण के आधार पर वाद सं0 55/2005 श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट व अन्य बनाम आम जनता व उत्तराखण्ड सरकार में जिला जज, टिहरी गढ़वाल द्वारा की जा चुकी है। इस वाद में जिला जज टिहरी गढ़वाल ने निगरानीकर्ता को विवादित भूमि का स्वामी होना पाया है जो जिला जज महोदय के उपर्युक्त वाद में दिए गए निर्णय दिनांक 04 जून, 2007 के निम्न अंश से स्पष्ट होता है:–

"Hence, I find that the objection raised by the learned DGC is false and baseless and it is decided that the applicant is the owner in possession of the land in connection with which permission to sell has been asked for." कलेक्टर द्वारा जिला जज महोदय के निर्णय को इस कारण नहीं स्वीकार किया गया है कि जिस वाद में यह निर्णय पारित किया गया उसमें उत्तराखण्ड सरकार का पक्ष नहीं सुना गया तथा उस वाद में जो अनुतोष मांगे गए थे वे अभिलेख अधिकारी/कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन अपील से भिन्न हैं तथा चूंकि जिला जज, टिहरी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड सरकार का पक्ष सुने बिना ही निर्णय सुनाया गया है res judicata का सिद्वान्त लागू नहीं होता है।

जिला जज, टिहरी गढ़वाल के निर्णय दिनांक 4 जून, 2007 के अवलोकन से विदित है जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) द्वारा राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी कि निगरानीकर्ता विवादित भूमि के स्वामी नहीं हैं। यद्यपि जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार/कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल की ओर से कोई प्राधिकार प्रस्तुत नहीं कर पाये तब भी उनकी आपत्ति की सुनवाई की गयी तथा उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया जिसका उन्होंने प्रयोग भी किया। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद संख्या 55/2005 में राज्य सरकार का पक्ष नहीं सुना गया। यह सही है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह वाद विवादित भूमि को बेचने की अनुमति प्राप्त

करने के लिए किया गया था परन्तु जैसा कि जिला जज महोदय के निर्णय से स्पष्ट है उनके द्वारा सर्वप्रथम यह तय किया गया कि क्या निगरानीकर्ता विवादित भूमि को बेचने का हकदार है या नहीं। अतः जिला जज महोदय द्वारा गुण–अवगुण के आधार पर अपने निर्णय में निगरानीकर्ता को विवादित भूमि पर स्वामित्व पाया जाना res judicata के रूप में प्रभावी है। यह सही है कि सामान्यतः भूमि संबंधी वादों पर निर्णय करना राजस्व न्यायालयों का अधिकार है परन्तु जहां जिला जज के स्तर की दीवानी अदालत ने कोई निष्कर्ष न्यायिक कार्यवाही में इंगित किया जाता है तो ऐसे निष्कर्ष का समादर राजस्व न्यायायल द्वारा किया जाना विधि सम्मत है।

प्रस्तुत प्रकरण में सन् 1981 में निगरानीकर्ता के पक्ष में 1947 से पूर्व से विवादित भूमि पर कब्जा राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ जिसको अगले 30 वर्ष तक चुनौती नहीं दी गई जबकि राजस्व अभिलेखों की समय–समय पर पड़ताल की जाती है। फिर 2007 में जिला जज, टिहरी गढ़वाल द्वारा निगरानीकर्ता को विवादित भूमि बेचने की अनुमति दी गई जिस निमित्त उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि निगरानीकर्ता विवादित भूमि का वास्तविक स्वामी है और इस निर्णय को भी चुनौती नहीं दी गई। अभिलेख अधिकारी/कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपील की सुनवाई के दौरान वर्ष 2012 में विवादित भूमि का मौका मोईना उपजिलाधिकारी स्तर पर कराया गया जिसमें पाया गया कि विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का विद्यालय भवन है तथा शेष भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं है। इन सब तथ्यों से साफ हो जाता है कि अभिलेख अधिकारी व सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय निरस्त करने योग्य हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रांसगिक होगा कि निगरानीकर्ता एक परोपकारी संस्था है और यदि वे विवादित भूमि के किसी भाग को बेचती है तो जिला जज, टिहरी गढ़वाल के आदेश दिनांक 4 जून, 2007 के अनुसार "..... the sale proceeds of this land will be fully utilized for the purpose of the Trust and a proper and true account will be maintained and copy of the account of money received and utilized shall be submitted to this court" इससे विदित है कि यदि विवादित भूमि का विक्रय निगरानीकर्ता द्वारा किया जाता है तो उससे प्राप्त आय का प्रयोग न्यास के परोपकारी उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा व विवादित भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि के उपयोग की सही स्थिति जिला जज महोदय, टिहरी गढ़वाल के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर/अभिलेख अधिकारी का आदेश दिनांक 26 सितम्बर, 2012 निरस्त किया जाता है। सहायक अभिलेख अधिकारी का आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 भी निरस्त किया जाता है।

विवादित भूमि पर उत्तराखण्ड सरकार का नाम काटकर श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट का नाम दर्ज किया जाए। तद्नुसार परवाना अमलदरामद किया जाये।

देहरादून,
31 जुलाई, 2013

(एस0के0 मुद्दू)
अध्यक्ष।